



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ नोट

विषय:- जविप्रा योजना लोहामण्डी के भूखण्ड की निकाले जाने वाली आम सूचना के प्रकाशन के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोहामण्डी योजना हेतु अवाप्त भूमि को निःशुल्क समर्पित करने के बदले विकसित भूखण्ड के आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र हेतु सूचना यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त जोन-6
7-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

सिस्टम (एनालिस्ट)
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-06/2023/डी- 1176
दिनांक 4-5-23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/23/डी- 1175

दिनांक 4/5/2023

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री आलोक अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल द्वारा समर्पणनामा पत्र, क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र, शपथ पत्र, वर्तमान जमाबन्दी, रजिस्टर्ड मुख्याआम की फोटोप्रति एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जविप्रा की योजना लोहामण्डी ग्राम माचड़ा तह. आमेंर की अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 2.2300 हैक्ट. खसरा नम्बर 8 रकबा 0.6400 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 2.8700 हैक्ट मे से हिस्सा 181/2.87 भूमि को निःशुल्क समर्पित करने के बदले विकसित भूखण्ड के आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस बाबत किसी भी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अपने स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज सहित आपत्ति उपायुक्त जोन-06, जेडीए, जयपुर के कार्यालय में पेश कर सकते हैं। नियत अवधि तक कोई आपत्ति/आक्षेप मय दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर नियमानुसार आवेदक के पक्ष में आरक्षण पत्र/आवंटन पत्र की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. श्री आलोक अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल निवासी 198, सुभाष कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-({+91-141-2570256.}) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:{7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}